

पटवारी रिपोर्ट
 श्रीमान् जी ग्राम सनोड में वर्तमान जमाबंदी खाता सं- 555 दि. 0. 414 किता 1, 1160 कि 0
 में रामा पुत्र लाडू जात्रि नाथक दर्ज है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, अनापत्ति
 प्रमाण पत्र पंचायत सनोड में नाम रामनिवाम पुत्र लाडू राम दर्ज है। अतः राका
 इन्द्र रामनिवाम पुत्र लाडू राम जात्रि नाथक किया जाना उचित होगा प्रकरण की जांच
 मजमें आक में भी की गई मौलाफ्त सलोक है

12/04/24

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

मुताबिक सलोक दस्तावेजों व हल्का पत्रवादी रिपोर्ट अनुसार प्रकरण
 दुस्त थी

18/9/25

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पत्रवादी, अ. अ. निरी. ई आद्याट पर क्या पता के
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 628

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

10-10-24

क्रमांक / 349

आदेश

उपरोक्त प्राथमिकी ने मेरे सम्मक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार में अभिलेख में दुरुस्ती का
 किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख
 निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुसंधान अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
 धारा 136 के अनुसंधान में ग्राम तहसील नसीराबाद की राजस्व सलोक
 के खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी का विनिर्दिष्ट रूप में दर्ज
 जाकर राजस्व रेकॉर्ड में आमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क	पुत्र इन्द्राज का विवरण		स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
स	खातेदार के विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर
	प्रकरण में इन्द्राज दुरुस्ती सिद्ध नहीं होने के कारण प्रकरण खातेदार लिखा जाता है।				



क्रमांक :- 5519-20

दिनांक :- 10-10-25

प्रतिक्रिया :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को बालनाथ
 2. आदेश पत्रावली।

10/10/25